


दि. 28.07.15

(203)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, जिला-रीवा
(म0प्र0)



G.F.
R.S. 201

बाबूलाल पाण्डेय तनय श्री मातादीन पाण्डेय, निवासी ग्राम-बकिया
तिवरियान, तहसील-रामपुर बाघेलान, जिला-सतना (म0प्र0)

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. रामपाल पाण्डेय तनय श्री मातादीन पाण्डेय, निवासी ग्राम-बकिया
तिवरियान, तहसील-रामपुर बाघेलान, जिला-सतना (म0प्र0)
2. रामलाल पाण्डेय तनय श्री मातादीन पाण्डेय, निवासी ग्राम-बकिया
तिवरियान, तहसील-रामपुर बाघेलान, जिला-सतना (म0प्र0)

-----अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0

भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान,
जिला-सतना (म0प्र0) प्रकरण क्र.

97/अपील/14-15 आदेश दिनांक 12.06.

2015 जिसके द्वारा तहसीलदार प्रभारी वृत्त

छिबौरा तहसील-रामपुर बाघेलान के

प्रकरण क्र. 18/अ-27/13-14 में पारित

आदेश दिनांक 21.07.2014 के विरुद्ध समय

सीमा के बाहर अपील को म्याद के अंदर

मानी गयी है, निम्नलिखित आधार पर

दायर की जाती है.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील-रामपुर
बाघेलान जिला-सतना (म0प्र0) का आदेश दिनांक 12.06.2015 विधि एवं
प्रक्रिया के विरुद्ध तथा अनौचित्यपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०. R.2824-II/2015

जिला-सतना

बाबूलाल पाण्डेय / रामपाल पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुदामा प्रसाद तिवारी एड० उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>सदस्य</p>	